संख्याः पी0सी0एच0-एच0सी0(10)1/2013(एफ0एफ0सी0)- 37299-388
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

प्रेषक,

सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला–171002.

प्रेषितः
1. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।
2 समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला–171009 दिनांकः 31st दिसम्बर, 2015.

विषयः 14वॉ वित्तायोग के अनुदान का वितरण एवं उपयोग।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 3/10/2015 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने के निर्देश हुए है कि 14वें वित्तायोग अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त राशि के उपयोग हेतु आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मूलभूत सुविधाओं की गुणवता को सुधारने से संभवतः नागरिको में इन सेवाओं के लिए भुगतान करने की रजामंदी बढ़ सकती है । आयोग का यह मत है कि आयोग जिन उपायों की सिफारिशें करता है, उनमें स्थानीय निकायों को अनुदान भी शामिल है, उनका उपयोग स्वच्छता जिसमें सेप्टेज प्रबंधन शामिल है, सीर्वेज, जल निकासी एंव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाईट, स्थानीय निकायों की सडकों एंव फुटपाथों, पार्को, मैदानो तथा कब्रिस्तान एंव श्मशान स्थलों का रख–रखावों जैसी मूलभूत सेवाओं के प्रदान को, सुदृढ करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए । आयोग की यह मान्यता है कि स्थानीय निकायों से संबंधित अधिनियमों में सामान्य तौर पर ये मूलभूत सेवायें शामिल होगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भी वित्तायोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु दिनांक 8/10/2015 को विस्तृत दिशा/निर्देश जारी कर दिए है। अतः आयोग की सिफारिशों व केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देशों से स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों को दिये गये अनुदान को केवल मूलभूत सेवाओं, जो कि उन्हे संबन्धित विधियों द्वारा सौंपी गई हो , पर खर्च करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए।

अतः उपरोक्त उद्देशयों की पूर्ति के क्रम में संभावित कार्यों जिनका निष्पादन वित्तायोग द्वारा प्रदान किये जा रहे अनुदान से किया जा सकता है की सूची निम्न प्रकार से हैः–

1. तरल एवं ठोस कचरा के निपटान एवं निकास के लिए व्यवस्था करना।
2. गंदे जल की निकासी के लिए नालियों का निर्माण तथा रख–रखाव।
3. पंचायत क्षेत्र में कूड़ा–करकट के निपटान एवं साफ–सफाई की उचित व्यवस्था करना।
4. सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं तथा पुरुषों के लिए पृथक–पृथक शौचालयों का निर्माण एवं व्यवस्था करना।
5. ग्रामीण राजकीय स्कूलों में लड़को तथा लड़कियों के लिए पृथक–पृथक शौचालयों का निर्माण एवं व्यवस्था करना।

6. ग्रामीण क्षेत्र के मेलों, त्यौहारों तथा सार्वजनिक समारोहों में अस्थाई शौचालयों की व्यवस्था करना।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में सेप्टेज एवं सीवेज प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था करना।
9. पारम्पारिक पेयजल स्त्रोतों का रख–रखाव एवं संरक्षण करना।
10. ग्रामीण राजकीय स्कूलों में पेयजल व्यवस्था करना।
11. ग्रामीण गलियों में स्ट्रीट लाईटों का उचित प्रबन्ध तथा रख–रखाव करना।
12. ग्रामीण सड़कों तथा फुटपाथों का रखरखाव।
13. सार्वजनिक पार्को, मैदानो का रख–रखाव।
14. कब्रिस्तानो तथा शमशान स्थलों का अपवर्धन एवं रख–रखाव।

चौदहवे वित्तायोग के तहत प्रदत्त अनुदान का उपयोग केवल ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जायेगा तथा इसमें पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है। जिला परिषद व पंचायत समितियां अनुदान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षक के रूप कार्य करेगी।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जो ग्राम सभा क्षेत्र की विशेष आवश्यकतायों हेतु कार्य, प्राथमिकतायों का निर्धारण करेगी। मनरेगा के अर्न्तगत किए जा रहे कार्यो को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा अभिसरण के माध्यम से राशि उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। विकास कार्यों का आरम्भ केवल सक्षम अधिकारी द्वारा प्राक्कलन अनुमोदन उपरान्त ही किया जाएगा। इस प्रक्रिया हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश " **हमारी पंचायत – हमारी योजना** " नामक मार्गदर्शिका के रूप में अलग से जारी किए जा रहे है।

ग्राम पंचायतों को मूल अनुदान राशि का हस्तांतरण वित्तायोग की सिफारिशों के अनुसार अर्थात 90 प्रतिशत अनुदान जनसंख्या के आधार पर तथा 10 प्रतिशत अनुदान क्षेत्रफल के आधार पर सीधे तौर से ऑनलाईन उनके खातों में किया जाऐगा।

कार्य निष्पादन अनुदान (Performance grant)के संदर्भ में आयोग द्वारा सपष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा लेखा परीक्षण तथा आधारभूत संरचना/आय के संसाधनों में बढ़ोतरी की दर के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप वितरित की जाएगी। इस आश्य के दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विशेष सचिव,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9